<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

<u>क्रिमिनल अपील संख्या . 71 वर्ष 2012</u>

रूपाली देवी ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....
प्रत्यर्थीगण

सह

<u>क्रिमिनल अपील सं. 619 वर्ष 2019</u>

(वि. अ. या. (क्रि.) सं. 5695/2010 से उद्भूत)

<u>क्रिमिनल अपील सं. 620 वर्ष 2019</u>

(वि. अ. या. (क्रि.) सं. 8246/2010 से उद्भूत)

<u>क्रिमिनल अपील सं. 621 वर्ष 2019</u>

(वि. अ. या. (क्रि.) सं. 7387/2011 से उद्भूत)

<u>क्रिमिनल अपील सं. 622 वर्ष 2019</u>

(वि. अ. या. (क्रि.) सं. 5052/2014 से उद्भूत)

<u>क्रिमिनल अपील सं. 623 वर्ष 2019</u>

(वि. अ. या. (क्रि.) सं. 5139/2014 से उद्भूत)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निर्णय

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

1. " क्या कोई महिला जिसे अपना वैवाहिक घर, ऐसे कार्यों एवं आचरण जो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं, के आधार पर छोड़ने को बाध्य किया गया हो न्यायालयों की अधिकारिता में ऐसी अवस्था में जब उसे अपने माता–पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों के यहां आश्रय लेने को बाध्य किया गया हो विधिक प्रक्रिया की शरण ले कार्यवाही प्रारम्भ कर सकती है । " ठीक यही वह प्रश्न है जो इन अपीलों के समूह में निर्धारण के लिए उठता है ।

2. उपरोक्त प्रश्न पर न्यायालय का मत विभाजित होने के कारण ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न पर विचार के लिए बड़ी बेंच को वर्तमान में सन्दर्भित किया गया है ।

3.

(i) वाई. अब्राहम अजीत एवं अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक चेन्नई एवं अन्य (2004) 8 SCC 100

(ii) रमेश एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 3 SCC 507

(iii) मनीष रतन एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2007) 1 SCC 262

(iv) अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (2014) 12 SCC 362

के वाद में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह मत व्यक्त किया गया है, कि यदि वैवाहिक घर में पत्नी के प्रति की गई क्रूरता के कारण वह अपने पैतृक घर में आश्रय लेती है और यदि पैतृक घर में क्रूरता कारित करने का विशेष कृत्य पति या उसके किसी संबंधी के कारण नहीं हुआ है, तो धारा 498 क के अन्तर्गत ऐसे न्यायालय में कार्यवाही का आरम्भ, जिसकी, जहां उसका पैतृक घर स्थित है, पर अधिकारिता है, अनुमन्य नही होगी । उपरोक्त मामलों में जो मुख्य तथ्य ध्यान देने योग्य है, वह यह है, कि पीड़ित पत्नी की ओर से वैवाहिक घर छोड़ने के पश्चात् पैतृक घर में क्रूरता या उत्पीड़न कारित करने का आरोप नहीं लगाया गया था । इन्हीं परिस्थितियों में उपरोक्त मामलों में यह मत व्यक्त किया गया था, कि वैवाहिक घर में क्रूरता का अपराध कारित किया जाना, पैतृक घर, जहां पर बाद में पीड़ित पत्नी चली गई हो, में अपराध के चालू रहने के बराबर नहीं है ।

4. **सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशान्त कुमार मुखर्जी** (1997) 5 SCC 30; **सुनीता कुमारी कश्यप बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** (2011) 11 SCC 301 और **मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेश कौशल एवं अन्य** (2003) 11 SCC 126 के मामलों में स्पष्टतः अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है । हालांकि उक्त दृष्टिकोण प्रत्येक प्रश्नगत् मामलों के विशेष तथ्यों पर आधारित प्रतीत हो सकता है । उदाहरण के लिए **सुजाता मुखर्जी (उपरोक्त)** के मामले में एक विशेष आरोप यह लगाया गया था, कि पति ने वैवाहिक घर में क्रूरता कारित करने के पश्चात पत्नी के पैतृक घर जाकर, जहां पर उसने आश्रय लिया था, उसका उत्पीड़न किया । उक्त तथ्यों के आधार पर **सुजाता मुखर्जी (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने अवधारित किया, कि यह अपराध दं. प्र. सं. की धारा 178 (ग) के अन्तर्गत एक सतत अपराध है ।

सुनीता कुमारी कश्यप (उपरोक्त) के मामले में यह आरोप था, कि पति के द्वारा पत्नी से बुरा बर्ताव किया गया । जिसने उसे उसके पैतृक घर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

छोड़ दिया और उसके बाद पति ने उसके बारे में कोई खोजबीन नहीं की । आगे यह भी आरोप था, कि जब पत्नी ने पति से सम्पर्क करने का प्रयास किया, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया । उक्त तथ्यों में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया, कि पैतृक घर में धारा 498 क के अन्तर्गत अपराध के निहितार्थ घटित हुए और इसलिए उस जगह की न्यायालय को दं. प्र. सं. की धारा 179 के आलोक में आरोपित अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता होगी । इसी तरह **मध्य प्रदेश राज्य बनाम सुरेश कौशल (उपरोक्त)** के मामले में पत्नी को वैवाहिक घर में की गई क्रूरता के कारण उसके पैतृक घर जबलपुर में गर्भपात हो गया । यह अवधारित किया गया, कि पत्नी के पैतृक घर के स्थान की न्यायालय को दं. प्र. सं. की धारा 179 के अन्तर्गत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा ।

5. उपरोक्त दो मत जिस पर सन्दर्भित विद्वत बेंच ने वर्तमान सन्दर्भ देते हुए विचार किया है, यथा पूर्वतः दृष्टव्य, न्यायलय के समक्ष दो तरह के मामलों के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित थे । मामलों के तथ्यों के आलोक में जिसमें वे न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए थे, दोनों मतों की संवहनीयता संभव थी । प्रश्नगत् मामले में न्यायालय के समक्ष हालांकि अलग विषय है । क्या एक ऐसे मामले में जहां पति के द्वारा या पति के संबंधियों द्वारा वैवाहिक घर में क्रूरता कारित की गई हो और पत्नी वैवाहिक घर छोड़कर अन्यत्र स्थित पैतृक घर में आश्रय लिया हो, क्या पत्नी के पैतृक घर के स्थान पर स्थित न्यायालय को, धारा 498 क के अन्तर्गत, परिवाद के सुनवाई की अधिकारिता होगी । यह एक ऐसी स्थिति में, जहां पर पति के द्वारा, पैतृक घर पर जहां पत्नी ने आश्रय लिया है, क्रूरता या उत्पीड़न के स्पष्ट कृत्य का आरोप नहीं है ।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (दं.प्र.सं.) का आपराधिक न्यायलयों की जाँच व विचारण संबंधी अधिकारिता से संबंधित अध्याय XIII के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उपबंधो पर एक दृष्टिपात आवश्यक होगा । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 का यह उपबंध है, कि "प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण सामान्यतः ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत वह किया गया है । " अतः यह स्पष्ट है, कि सामान्य स्थितियों में जिस न्यायालय की अधिकारिता में अपराध कारित किया जाता है उसी न्यायालय को प्रश्नगत् अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति और प्राधिकार होगा ।

7. धारा 178 और 179 उपरोक्त नियम के अपराध हैं जो इस प्रकार हैं –

"178. जाँच या विचारण का स्थान, –

(क) जहां यह अनिश्चत है, कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा

(ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा

(ग) जहां अपराध चालू रहने वाला हो और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा

(घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है,

वहां उसकी जाँच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जाता है । "

"179. अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या परिणाम निकला – जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के अन्दर ऐसी बात की गई या परिणाम निकला । "

8. धारा 178 दूसरे स्थानीय क्षेत्रों में स्थित न्यायालयों को जहां अपराध अंशतः किया गया हो, को संज्ञान लेने की अनुमति देकर "सामान्य नियम" यथा धारा 177 में विहित, का अपवाद सृजित करती है और यदि एक स्थानीय क्षेत्र में किया गया अपराध दूसरे स्थानीय क्षेत्र में चालू रहता है, तो दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थित न्यायालय मामले का संज्ञान लेने में सक्षम होगा । धारा 179 के अन्तर्गत यदि किसी आपराधिक कृत्य से निकले परिणाम के कारण कोई अपराध दूसरे क्षेत्राधिकार में होता है तो वहां पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाला न्यायालय भी संज्ञान लेने में सक्षम होगा । इस प्रकार यदि अपराध अंशतः एक स्थान पर किया गया हो और अंशतः दूसरे; या अपराध चालू रहने वाला अपराध हो या जहां किसी आपराधिक कृत्य का परिणाम दूसरे स्थान पर होने वाले अपराध के रूप में परिणत हो, "सामान्य नियम" का अपवाद लागू होगा और जिस न्यायालय की अधिकारिता में आपराधिक कृत्य किया जाता है, उसकी अपराध का विचारण करने की अनन्य अधिकारिता जाती रहेगी ।

9. इस स्थिति में 'चालू रहने वाले अपराध' से क्या तात्पर्य है, इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा । यह विषय **बिहार राज्य बनाम देव करन नेन्सी** (1972) 2 SCC 890 के मामले में उत्तरित होने के कारण अनिर्णीत विषय नहीं है । पैराग्राफ 5 पर ध्यान देना उपयोगी होगा ।

"5. एक ' चालू रहने वाला अपराध ' वह है जिसका सातत्य बोधगम्य है और जो एक बार किए गए अपराध से पृथक्करणीय है । यह उन अपराधों में से एक है, जो किसी नियम या इसकी शर्तों को मानने या उसका पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें दण्ड का विधान होता है, जिसका उत्तरदायित्व तब तक जारी रहता है, जब तक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नियम या इसकी शर्तों का पालन नहीं हो जाता । प्रत्येक ऐसे अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा या गैर अनुपालन होता है और पुनः होता है तो अपराध कारित होता है । दो तरह के अपराधों के बीच भेद ऐसे कार्य या विलोप के बीच होता है जिसमें कि एक अपराध एक बार होता है और एक ऐसा कार्य या विलोप जो चालू रहता है और इसलिए प्रत्येक बार या प्रत्येक अवसर पर जब यह होता है, अपराध बनता है । ' चालू रहने वाला अपराध ' के मामले में अपराध के सातत्य का तत्व होता है, जो ऐसे अपराध के मामले में अनुपस्थित होता है, जो तब घटित होता है जब कोई कार्य या विलोप एक बार के लिए होता है । "

10. जो प्रश्न उत्तर के लिए उठा है, उसका धारा 178 (ख) या (ग) के प्रावधानों से कोई लेना– देना नहीं है । जिस बात का निर्धारण किया जाना है, वह यह है, कि क्या धारा 179 द्वारा सृजित अपवाद का उस न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने में कोई प्रयोग होगा, जो कि उस जगह स्थित है जहां पत्नी का पैतृक घर अवस्थित है ।

11. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपराधिक विधि (दूसरा संशोधन अधिनियम, 1983 (अधिनियम 46 वर्ष 1983)) के उद्देश्य और युक्तियुक्तता कथन को देखना होगा, जिसके द्वारा धारा 498 क को जोड़ा गया था । इस धारा के सन्दर्भ में प्रथमतः ध्यातव्य है :

"**498 क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना–––** जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसे स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण––– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता " से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध माँग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है । "

12. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क को आपराधिक विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा जोड़ा गया था । भारतीय दण्ड संहिता में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 और 176 के, आत्महत्या के द्वारा मृत्यु के मामले में पुलिस जाँच और ऐसी मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जाँज संबंधी –– प्रावधानों को भी संशोधित किया गया था । दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 498 क के अन्तर्गत अपराधों के अभियोजन हेतु धारा 198 क को भी जोड़ा गया था । आगे दं.प्र.सं. की प्रथम अनुसूची में संशोधन द्वारा धारा 498 क के अन्तर्गत अपराध को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाया गया । आपराधिक विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 क जोड़ा जाना अत्यधिक महत्व का है, जो विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा किए जाने का उपबंध करता है । यदि ऐसी आत्महत्या विवाहित स्त्री के विवाह की तिथि के सात वर्ष की अवधि के भीतर की गई है और उसके साथ क्रूरता की गई है । धारा 113 क इन शब्दों में है :

"113–क. विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उपधारणा– जब प्रश्न यह हो, कि किसी स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या उसके पति द्वारा या पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी और यह दर्शाया जाता है, कि उसने आत्महत्या विवाह की तिथि के सात वर्ष की अवधि के भीतर की थी और यह कि उसके पति या पति के किसी नातेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी, मामले के अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत्, न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है, कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के उद्देश्यों के लिए " क्रूरता " का वही अर्थ होगा जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क में है । (45, वर्ष 1860) "

13. उपरोक्त संशोधन के पीछे उद्देश्य स्त्री का या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या विधि विरूद्ध माँग को पूरा करने के लिए उत्पीड़न के मामले से निपटने के अलावा निःसंदेह पत्नी पर पति और पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के बढ़ते मामलों का मुकाबला करना था । जिससे कि पत्नी आत्महत्या कर लेती है या उसे गंभीर क्षति पहुंचती है । संशोधन के उपरोक्त अभिकथित उद्देश्य को प्रश्नगत् मामले में उठते प्रश्नों का उत्तर देते समय नजरअंदाज नही किया जा सकता । अतः न्यायिक प्रयास प्रश्नगत् उपबंधों को जोड़ने के पीछे के स्पष्य उद्देश्य के आलोक में यथा पूर्वतः ध्यातव्य आपराधिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा जोड़ी गई विधियों के उपबंधों को सदैव अधिक परिणामोत्पादक और प्रभावी बनाना होना चाहिए ।

14. " क्रूरता " को जो कि भा.दं.सं. की धारा 498 क के अन्तर्गत अपराध का सार है , ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में किसी जीवित जीव विशेषतः मानव पर मानसिक या शारीरिक कष्ट के "सोद्देश्य" और दोषपूर्ण अधिरोपण; बुरे बर्ताव; गुस्सा (गाली–गलौज, अमानवीय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार, अमर्यादित आचरण) के रूप में परिभाषित किया गया है । क्रूरता शारीरिक या मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता हो सकती है । पति की या उसके नातेदारों की ओर से ऐसे स्पष्ट कार्यों का पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव; वैवाहिक घर से निकाले जाने की मानसिक यंत्रणा और उसी घर में बुरे बर्ताव के भय के चलते वापस जाने की उसकी असहायता, ऐसे आयाम हैं, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क में आने वाले "क्रूरता" के अर्थ को समझते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । पत्नी पर भावनात्मक अवसाद या मनोवैज्ञानिक प्रभाव, चाहे शारीरिक क्षति भले न हो, उसके वैवाहिक घर छोड़ने और पैतृक घर में आश्रय लेने के बाद भी यातना देते रहेंगे । चाहे भले ही वैवाहिक घर में की जाने वाली शारीरिक क्रूरता रुक गई हो और पैतृक घर में ऐसे कृत्य न होते हों, इसमें कोई सन्देह नहीं कि गाली–गलौज सहित, यदि ऐसा कुछ हो तो, पति के कार्यों, जिसने पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने और माता–पिता के यहां आश्रय लेने को बाध्य किया था, द्वारा मानसिक यातना और मनोवैज्ञानिक अवसाद पैतृक घर में भी जारी रहेंगे । शारीरिक क्रूरता से उत्पन्न मानसिक क्रूरता या गाली–गलौज पैतृक घर में भी जारी रहेंगे चाहे ऐसे स्थान पर स्पष्ट शारीरिक क्रूरता का कोई कार्य भले न हो ।

15. महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, जैसा कि इसके अधिनियमन का उद्देश्य दर्शित करेगा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के अन्तर्गत दी गई आपराधिक विधि में उपचार की तुलना में घरेलू हिंसा के भुक्तभोगियों को सिविल उपचार प्रदान करने के लिए है । महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा क्षति या उपहति जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कुशलक्षेम, मानसिक या शारीरिक को खतरा हो, और भावनात्मक दुर्व्यवहार को ध्यान में रखकर की गई है । उक्त परिभाषा का, उक्त कारणों से, निश्चय ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्पष्टीकरण क & ख के साथ निकट संबंध है जो कि क्रूरता को परिभाषित करती है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क में निहित प्रावधान निःसंदेह पत्नी के मानसिक और शारीरिक कुशरक्षेम को समाविष्ट करते हैं । पत्नी की खामोशी में भी भावनात्मक अवसाद और मानसिक व्यथा का तत्व हो सकता है । पैतृक घर पर उसका कष्ट, वैवाहिक घर पर पति द्वारा की गई क्रूरता के कारण हो सकती है । जो कि निःसंदेह वैवाहिक घर पर किए गए कार्यों का परिणाम हो सकता है । ऐसे परिणाम स्वंय पैतृक घर जहां पर उसने आश्रय लिया है, पर अलग अपराध के बराबर होंगे । पैतृक घर में उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव, यद्यपि कि वैवाहिक घर पर किए गए कार्यों के कारण, हमारे सुचिन्तित विचार से, पैतृक घर पर धारा 498 क के अर्थों में क्रूरता किए जाने के बराबर होंगे । वैवाहिक घर पर की गई क्रूरता का परिणाम पैतृक घर पर एकाधिक बार किए गए अपराध के रूप में होता है । यह उस प्रकार का अपराध है जो दं. प्र. सं. की धारा 179 में कल्पित है । जो कि सीधे वर्तमान मामले में उठाए गए प्रश्न के उत्तर के रूप में लागू होगा ।

16. अतः हमारा मानना है, कि उस स्थान की न्यायालय जहां पर पत्नी पति द्वारा या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता के कृत्य की वजह से अपना वैवाहिक घर छोड़ने या निकाले जाने के बाद आश्रय लेती है, का तथ्यात्मक परिस्थिति के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के अन्तर्गत कारित अपराधों के आरोप के परिवाद की सुनवाई की भी अधिकारिता होगी ।

17. उपरोक्त के मद्देनजर में सभी अपीलों का निपटारा किया जाता है ।

.....

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(रंजन गोगोई, भारत के मुख्य न्यायाधीश)

.....

(न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव)

.....

(न्यायमूर्ति संजय किशन कौल)

नई दिल्ली;

अप्रैल 09 , 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।